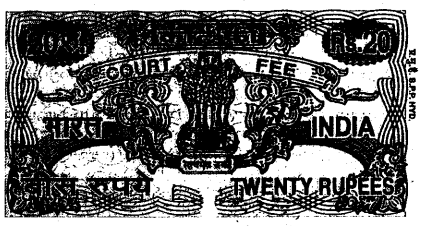

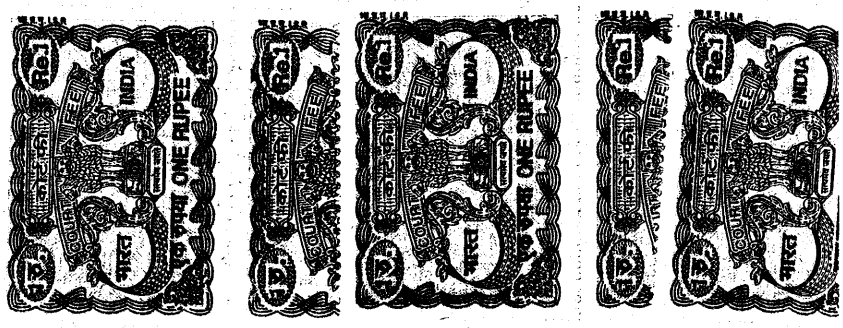

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(11)

पुर्नविलोकन प्रकरण क्रमांक   /2016 जिला–गुना   4051-PBR-16

यदुनाथ सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह राजपूत निवासीगण विलोनिया तहसील व जिला गुना (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला गुना
2. दयाराम पुत्र मुतिया मेहतर
3. बाबूलाल पुत्र मुतिया मेहतर
4. गणेशराम पुत्र मुतिया मेहतर
5. लटूरी बाई वेवा मुतिया
6. प्रेमबाई पुत्री मुतिया
7. कमला बाई पुत्री मुतिया
8. वित्ता बाई पुत्री मुतिया
9. श्रीमती सुमित्रा बाई पत्नी बाबू लाल यादव सभी निवासीगण ग्राम बिलोनिया तहसील व जिला गुना (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

श्री ... चतुर्वेदी ... द्वारा आज 2.12.16 को प्रस्तुत

2.12.16

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

648
2-12-16

02/12/16

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 4008/एक/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 09.08.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुर्नविलोकन निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

1. यहकि, नायब तहसीलदार गुना ने अनुविभागीय अधिकारी गुना के माध्यम से प्रकरण क्रमांक 2386/बी–121/11–12 प्रतिवेदन दिनांक 05.10.2012 से प्रतिवेदित किया है। कि ग्राम बिलोनिया के भूमि सर्वे क्रमांक 177 रकवा 0.679 हैक्ट्यर चालू खसरा में दयाराम, बाबूलाल, गणेशराम पुत्र मुतिया बिन्ना, प्रेम, कमला, पुत्रियॉ मुतिया निवासी ग्राम के नाम दर्ज होकर खसरे के खाना क्रमांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 4051–पीबीआर/2016 जिला गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–2–2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। यह रिव्यु इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–8–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 4008–एक/2014 में पारित आदेश दिनांक 9–8–16 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण अभिलेख में ऐसी कोई साक्ष्य अथवा बात का उल्लेख नहीं किया गया है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, और न ही अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि ही दर्शाई गई है। इस न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रकिया को त्रुटिपूर्ण ठहराने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। अतः यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	